

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-169

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

ऊर्जा संरक्षण और भवन-निर्माण संहिता

*169. श्री मो. नदीमुल हक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा संरक्षण और भवन निर्माण संहिता की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) देश में ऊर्जा की बचत और दक्षता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ऊर्जा संरक्षण और भवन-निर्माण संहिता" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) 100 किलोवाट से जुड़े भार अथवा 120 केवीए अथवा उससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करती है। संहिता में पैसिव डिजाइन स्ट्रैटेजी तथा डे लाइट इंटीग्रेशन अपनाकर ऊर्जा की खपत और ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हुए आरामदेह रहन-सहन की व्यवस्था है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है और भवनों की जीवन चक्र लागतों को कम करता है। अद्यतन विस्तृत संहिता 2017 में शुरू की गई थी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, सुगम अनुपालन, पैसिव बिल्डिंग डिजाइन स्ट्रैटेजी को शामिल करने तथा डिजाइनरों के लिए नम्यता हेतु अतिरिक्त तरजीह दी गई थी। ईसीबीसी 2017 वृद्धिशील स्वैच्छिक ऊर्जा दक्षता निष्पादन स्तरों को शामिल करने से संबंधित प्रमुख सुधारों के साथ संहिता निष्पादन से परे मान्यता देने वाली प्रथम भवन ऊर्जा संहिता है। ईसीबीसी 2017 में ऊर्जा निष्पादन मानकों के तीन स्तर अर्थात् ईसीबीसी, ईसीबीसी प्लस, सुपर ईसीबीसी हैं।

रिहायशी भवनों के लिए वर्ष 2018 में एक पृथक संहिता अर्थात् इको-निवास संहिता, पार्ट-1 बिल्डिंग एन्वेलप (रिहायशी क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता) शुरू की गई थी। यह संहिता स्वैच्छिक प्रकृति की है और ताप वृद्धि को सीमित करने (गर्म जलवायु के लिए) तथा ताप हानि को सीमित करने (शीत जलवायु के लिए) के साथ-साथ प्राकृतिक वायु-संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने और दिवस प्रकाश व्यवस्था की संभाव्यता के लिए न्यूनतम बिल्डिंग एन्वेलप निष्पादन हेतु मानक निर्धारित करता है।

2. ईसीबीसी 2017 के तीन निष्पादन मानकों के लिए परंपरागत वाणिज्यिक भवनों के संदर्भ में ऊर्जा बचतों पर अनुमानित प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

- (i) ईसीबीसी अनुपालन करने वाले भवन - लगभग 25 प्रतिशत ऊर्जा बचत
- (ii) ईसीबीसी प्लस भवन - लगभग 35 प्रतिशत ऊर्जा बचत, तथा
- (iii) सुपर ईसीबीसी भवन - 50 प्रतिशत ऊर्जा बचत।

3. वर्ष 2030 तक लगभग 1 बिलियन वर्ग मीटर के नए वाणिज्यिक भवन जोड़े जाने की संभावना है जिससे भवनों में वातानुकूलन और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी। तदनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भावी भवनों के स्टॉक को ईसीबीसी का अनुपालन करते हुए डिजाइन और निर्मित किया जाता है तो वर्ष 2030 तक लगभग 300 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत बचाई जा सकती है जो 15 गीगावाट की व्यस्ततम मांग में कमी तथा कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 250 मिलियन टन की कमी के बराबर होगी।

4. सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य ऊर्जा संरक्षण उपाय निम्नानुसार हैं:-

- (i) बड़े ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए निष्पादन, उपलब्धि तथा व्यापार (पीएटी) योजना, जिसके अंतर्गत ऊर्जा सघन उद्योगों की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इनका 3 वर्ष की अवधि के बाद मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 13 क्षेत्रों से 956 ऊर्जा सघन उद्योग अथवा नामित उपभोक्ता (डीसी) कवर किए गए हैं।
- (ii) उपस्कर क्षेत्र में मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य लेबलीकृत उपस्करों/उपकरणों की ऊर्जा तथा लागत बचत संभाव्यता के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराना है। यह योजना 1 से 5 के पैमाने पर, जिसमें 5 सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष है, रेटिंग करते हुए उपस्करों/उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर निर्धारित करता है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 23 उपस्कर हैं जिनमें 10 अनिर्वाय क्षेत्र तथा शेष 13 स्वैच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- (iii) किलोवाट घंटा/वर्ग मी./वर्ष में प्रदर्शित भवनों में ऊर्जा उपयोग के आधार पर भवनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम 1 से 5 के पैमाने पर भवनों की रेटिंग करता है जिसमें 5 स्टार लेबल वाले भवन सबसे दक्ष होते हैं, और यह कार्यालय भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं बीपीओ के लिए लागू होता है। वर्तमान में 230 भवनों को स्टार रेटिंग दी गई है।
- (iv) परिवहन क्षेत्र में यात्री कारों के लिए अप्रैल 2015 में कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई) मानदंड अधिसूचित किए गए थे तथा 12 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले भारी वाहनों के लिए अगस्त 2017 में फ्यूल एफिशिएंसी मानक अधिसूचित किए गए थे।
- (v) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भी 24-25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान की सेटिंग के जरिए भवन स्थान शीतलन में ऊर्जा संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश व परामर्शिका जारी की है।
- (vi) माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसके दो घटक हैं (i) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए सबके लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा (ii) 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)। विद्युत मंत्रालय के अधीन पीएसयू के संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। अभी तक, ईईएसएल ने देश में 35.16 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं तथा 92 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-176

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

दिल्ली में बिजली प्रभार

*176. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली की दर में कमी की गई है, जबकि नियत प्रभार बहुत बार बढ़ाये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियत प्रभारों को कम करने की कोई मांग की गई है और इस मांग पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दिल्ली में बिजली प्रभार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : दिल्ली में खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण का उत्तरदायित्व दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का होता है। खुदरा टैरिफ में निर्धारित प्रभार और ऊर्जा प्रभार शामिल होते हैं। यद्यपि, निर्धारित प्रभार कनेक्टेड लोड पर आधारित होते हैं जबकि ऊर्जा प्रभार खपत की गई यूनिटों की संख्या पर आधारित होते हैं। डीईआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू टैरिफ आदेश में खुदरा टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए ऊर्जा प्रभार घटाए गए हैं और निर्धारित प्रभार बढ़ाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू खुदरा टैरिफ अनुसूचियां **अनुबंध** में दी गई हैं।

(ग) और (घ) : निर्धारित प्रभारों में कमी करने के लिए विभिन्न पणधारकों से डीईआरसी में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। डीईआरसी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया में है। टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देते समय आयोग द्वारा पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

"दिल्ली में बिजली प्रभार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

डीईआरसी की वेबसाइट में उपलब्ध कराये गए अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड

टैरिफ आर्डर वित्त वर्ष 2017-18

टैरिफ अनुसूची

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	20 रु./किलोवाट/माह	4.00 रु./किलोवाट घंटा	5.95 रु./किलोवाट घंटा	7.30 रु./किलोवाट घंटा	8.10 रु./किलोवाट घंटा	8.75 रु./किलोवाट घंटा
ख	> 2 किलोवाट और ≤ 5 किलोवाट	35 रु./किलोवाट/माह					
ग	> 5 किलोवाट और ≤ 15 किलोवाट	45 रु./किलोवाट/माह					
घ	>15 किलोवाट और ≤ 25 किलोवाट	60 रु./किलोवाट/माह					
ड.	> 25 किलोवाट	100 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल डिलीवरी प्वाइंट	40 रु./किलोवाट/माह	6.00 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू						
2.1	गैर-घरेलू लो टेंशन (एनडीएलटी)						
क	10 किलोवाट तक	115 रु./किलोवाट/माह	8.80 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11 केवीए एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	130 रु./केवीए/माह	8.50 रु./केवीएएच				
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (200 किलोवाट/215 केवीए से अधिक लोड के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.95 रु./केवीएएच				
2.2	गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)						
क	11 केवी और उससे अधिक की आपूर्ति के लिए और (>100 किलोवाट/108 केवीए) अधिक भार के लिए	130 रु./केवीए/माह	8.40 रु./केवीएएच				
3	औद्योगिक						
3.1	स्माल इंडस्ट्रियल पावर (एसआईपी) [200 किलोवाट/215 केवीए से कम]						
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.45 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	125 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएएच				
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (200 किलोवाट/215 केवीए से अधिक भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.50 रु./केवीएएच				
	एसआईपी उपभोक्ताओं के						

3.2	समूह के लिए 11 केवी सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर औद्योगिक विद्युत	110 रु./केवीए/माह	7.10 रु./केवीएच
3.3	लार्ज इंडस्ट्रियल पावर (एलआईपी) (11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति)	130 रु./केवीए/माह	7.40 रु./केवीएच
4	कृषि	20 रु./किलोवाट/माह	2.75 रु./किलोवाट घंटा
5	मसरूम कल्टीवेशन	40 रु./किलोवाट/माह	5.50 रु./किलोवाट घंटा
6	सार्वजनिक लाइटिंग		
6.1	मीटर्ड		
	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और ब्लिंकर्स	-	7.30 रु./किलोवाट घंटा
6.2	अनमीटर्ड		
	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और ब्लिंकर्स	-	7.80 रु./किलोवाट घंटा
7	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)		
7.1	एलटी पर आपूर्ति		
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.00 रु./किलोवाट घंटा
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं <= 140 किलोवाट/150 केवीए	115 रु./केवीए/माह	7.80 रु./केवीएच
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (200 किलोवाट/215 केवीए के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.30 रु./केवीएच
7.2	11 केवी और अधिक पर आपूर्ति	130 रु./केवीए/माह	7.20 रु./केवीएच
8	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	160 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएच
9	रेलवे ट्रैक्सन	160 रु./केवीए/माह	6.80 रु./केवीएच
10	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी)	130 रु./केवीए/माह	6.10 रु./केवीएच
11	विज्ञापन और होर्डिंग	600 रु./माह/होर्डिंग	11.20 रु./केवीएच
12	अस्थायी आपूर्ति		
12.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर
12.2	शेसिंग मौसम के दौरान शेसरो के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर
12.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी का 1.30 गुना
13	सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन		
13.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा
13.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएच

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यौरे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची

क्रम. सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	20 रु./किलोवाट/माह					
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	35 रु./किलोवाट/माह	4.00	5.95	7.30	8.10	8.75
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	45 रु./किलोवाट/माह	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	60 रु./किलोवाट/माह					
ड.	>25 किलोवाट	100 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल डिलीवरी प्वाइंट	40 रु./किलोवाट/माह	6.00 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू						
2.1	गैर-घरेलू लो टेंशन (एनडीएलटी)						
क	10 किलोवाट तक	115 रु./किलोवाट/माह	8.80 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11केवी एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	130 रु./केवीए/माह	8.50 रु./केवीएच				
ग	>140 किलोवाट / 150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.95 रु./केवीएच				
2.2	गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)						
क	>100 किलोवाट/108 केवीए भार के लिए 11 केवी और अधिक पर आपूर्ति के लिए	130 रु./केवीए/माह	8.40 रु./केवीएच				
3	औद्योगिक						
3.1	स्माल इंडस्ट्रियल पावर (एसआईपी) [200किलोवाट/215 केवीए से कम]						
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.45 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11केवी एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	125 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएच				
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.50 रु./केवीएच				
3.2	एसआईपी उपभोक्ताओं के समूह के लिए 11 केवी सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर इंडस्ट्रियल पावर	110 रु./केवीए/माह	7.10 रु./केवीएच				
3.3	लार्ज इंडस्ट्रियल पावर (एलआईपी) 11 केवी और अधिक पर आपूर्ति	130 रु./केवीए/माह	7.40 रु./केवीएच				

4	कृषि	20 रु./किलोवाट/माह	2.75 रु./किलोवाट घंटा
5	मसरूम कल्टीवेशन	40 रु./किलोवाट/माह	5.50 रु./किलोवाट घंटा
6	सार्वजनिक लाईटिंग		
6.1	मीटर्ड		
	स्ट्रीट लाईटिंग, सिग्नल और ब्लिंकर्स	-	7.30 रु./किलोवाट घंटा
6.2	अनमीटर्ड		
	स्ट्रीट लाईटिंग, सिग्नल और ब्लिंकर्स	-	7.80 रु./किलोवाट घंटा
7	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)		
7.1	एलटी पर आपूर्ति		
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.00 रु./किलोवाट घंटा
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं <=140 किलोवाट/150 केवीए	115 रु./केवीए/माह	7.80 रु./केवीएएच
ग	>140 किलोवाट / 150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.30 रु./केवीएएच
7.2	11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति	130 रु./केवीए/माह	7.20 रु./केवीएएच
8	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	160 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएएच
9	रेलवे ट्रेक्शन	160 रु./केवीए/माह	6.80 रु./केवीएएच
10	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)	130 रु./केवीए/माह	6.10 रु./केवीएएच
11	विज्ञापन और होर्डिंग	600 रु./माह/ होर्डिंग	11.20 रु./केवीएएच
12	अस्थायी आपूर्ति		
12.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर
12.2	शेसिंग मौसम के दौरान शेसरो के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर
12.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी का 1.30 गुना
13	सिग्नल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन		
13.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा
13.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएएच

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यौरे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची

क्रम. सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	20 रु./किलोवाट/माह					
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	35 रु./किलोवाट/माह	4.00	5.95	7.30	8.10	8.75
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	45 रु./किलोवाट/माह	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा	रू./किलोवाट घंटा
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	60 रु./किलोवाट/माह					
ड.	>25किलोवाट	100 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल डिलीवरी प्वाइंट आपूर्ति	40 रु./किलोवाट/माह	6.00 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू						
2.1	गैर-घरेलू लो टेंशन (एनडीएलटी)						
क	10 किलोवाट तक	115 रु./किलोवाट/माह	8.80 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	130 रु./केवीए/माह	8.50 रु./केवीएघ				
ग	>140 किलोवाट / 150 केवीए (400 वोल्ट) (> 200किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.95 रु./केवीएघ				
2.2	गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)						
क	> 100किलोवाट/108 केवीए भार के लिए) 11 केवी और अधिक पर आपूर्ति के लिए	130 रु./केवीए/माह	8.40 रु./केवीएघ				
3	औद्योगिक						
3.1	स्माल इंडस्ट्रियल पावर (एसआईपी) [200किलोवाट/215 केवीए से कम]						
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.45 रु./किलोवाट घंटा				
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	125 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएघ				
ग	>140 किलोवाट / 150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.50 रु./केवीएघ				
3.2	एसआईपी उपभोक्ताओं के समूह के लिए 11 केवी सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर इंडस्ट्रियल पावर	110 रु./केवीए/माह	7.10 रु./केवीएघ				
3.3	लार्ज इंडस्ट्रियल पावर (एलआईपी) (11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति)	130 रु./केवीए/माह	7.40 रु./केवीएघ				

4	कृषि	20 रु./किलोवाट/माह	2.75 रु./किलोवाट घंटा
6	सार्वजनिक लाईटिंग		
6.1	मीटर्ड		
	स्ट्रीट लाईटिंग, सिग्नल और बिलंकर्स	-	7.30 रु./किलोवाट घंटा
6.2	अनमीटर्ड		
	स्ट्रीट लाईटिंग, सिग्नल और बिलंकर्स	-	7.80 रु./किलोवाट घंटा
7	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)		
7.1	एलटी पर आपूर्ति		
क	10 किलोवाट तक	100 रु./किलोवाट/माह	8.00 रु./किलोवाट घंटा
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं <= 140 किलोवाट/150 केवीए	115 रु./केवीए/माह	7.80 रु./केवीएएच
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)	160 रु./केवीए/माह	9.30 रु./केवीएएच
7.2	11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति	130 रु./केवीए/माह	7.20 रु./केवीएएच
8	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	160 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएएच
9	रेलवे ट्रैक्शन	160 रु./केवीए/माह	6.80 रु./केवीएएच
10	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)	130 रु./केवीए/माह	6.10 रु./केवीएएच
11	विज्ञापन और होर्डिंग	600 रु./माह/होर्डिंग	11.20 रु./केवीएएच
12	अस्थायी आपूर्ति		
12.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन
12.2	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए
12.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर
13	सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन		
13.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा
13.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएएच

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यारे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची 2017-18 के लिए

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित	ऊर्जा प्रभार
1	घरेलू		
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		
क	0-200 यूनिट	35 रु./किलोवाट/माह	4.00 रु./किलोवाट घंटा
ख	201-400 यूनिट	35 रु./किलोवाट/माह	5.95 रु./किलोवाट घंटा
ग	401-800 यूनिट	35 रु./किलोवाट/माह	7.30 रु./किलोवाट घंटा
घ	801-1200 यूनिट	35 रु./किलोवाट/माह	8.10 रु./किलोवाट घंटा
ड	>1200 यूनिट	35 रु./किलोवाट/माह	8.75 रु./किलोवाट घंटा
1.2	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (जीएचएस) के लिए सिंगल डिलीवरी प्वाइंट		
	11 केवी पर आपूर्ति	40 रु./किलोवाट/माह	6.00 रु./किलोवाट घंटा
2	गैर-घरेलू		
2.1	गैर-घरेलू लो टेंशन (एनडीएलटी)		
क	10 किलोवाट तक	115 रु./किलोवाट/माह	8.80 रु./किलोवाट घंटा
ख	>10 किलोवाट/11केवीए एवं ≤ 140 किलोवाट/150 केवीए	130 रु./केवीए/माह	8.50 रु./केवीएघ
ग	>140 किलोवाट/150 केवीए (400 वोल्ट) (>200 किलोवाट/215 केवीए भार के लिए एलटी पर कोई आपूर्ति नहीं)		
i	जहां आपूर्ति एनडीएमसी उप-केन्द्र से दी गई है	160 रु./केवीए/माह	9.95 रु./केवीएघ
ii	जहां आवेदक उप-केन्द्रों के लिए बिल्टअप स्थान प्रदान करता है	135 रु./केवीए/माह	8.80 रु./केवीएघ
2.2	गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)		
	11 केवी और अधिक पर आपूर्ति के लिए (>100किलोवाट/108 केवीए भार के लिए)	130 Rs/केवीए/माह	8.40 रु./केवीएघ
3	स्माल इंडस्ट्रियल पावर (एसआईपी)	100 रु./केवीए/माह	7.90 रु./केवीएघ
4	सार्वजनिक लाइटिंग		
4.1	मीटर्ड		
क	स्ट्रीट लाइटिंग		7.30 रु./किलोवाट घंटा
ख	सिग्नल और बिलंक्स		7.30 रु./किलोवाट घंटा
4.2	अनमीटर्ड		
क	स्ट्रीट लाइटिंग		7.80 रु./किलोवाट घंटा
ख	सिग्नल और बिलंक्स		7.80 रु./किलोवाट घंटा
5	रेलवे ट्रेक्शन	150 रु./केवीए/माह	6.80 रु./केवीएघ
6	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)		
	डीएमआरसी	130 रु./केवीए/माह	6.10 रु./केवीएघ
7	विज्ञापन और होर्डिंग	600 रु./माह/ होर्डिंग	11.20 रु./केवीएघ
8	अस्थायी आपूर्ति		
8.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर
8.2	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर
8.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी 1.30 गुना
9	सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन		
9.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएघ

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यौरे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची वित्त वर्ष 2018-19

क्रम. सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	125 रू./किलोवाट/माह					
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	140 रू./किलोवाट/माह	3.00 रू./किलोवाट घंटा	4.50 रू./किलोवाट घंटा	6.50 रू./किलोवाट घंटा	7.00 रू./किलोवाट घंटा	7.75 रू./किलोवाट घंटा
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	175 रू./किलोवाट/माह					
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	200 रू./किलोवाट/माह					
ड.	>25 किलोवाट	250 रू./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल प्वाइंट डिलीवरी आपूर्ति	150 रू./किलोवाट/माह			4.50 रू./किलोवाट घंटा		
2	गैर-घरेलू	250 रू./केवीए/माह			8.00 रू./केवीएएच		
3	औद्योगिक	250 रू./केवीए/माह			7.25 रू./केवीएएच		
4	कृषि एवं मशरूम कल्टीवेशन	125 रू./किलोवाट/माह			1.50 रू./किलोवाट घंटा		
5	सार्वजनिक यूटिलिटियां	250 रू./केवीए/माह			5.75 रू./केवीएएच		
6	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	250 रू./केवीए/माह			7.25 रू./केवीएएच		
7	विज्ञापन और होर्डिंग	250 रू./केवीए/माह			8.00 रू./केवीएएच		
8	अस्थायी आपूर्ति						
8.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर				
8.2	श्रेसिंग मौसम के दौरान श्रेसरों के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रू. प्रतिमाह	5,400 रू. प्रतिमाह की समान दर				
8.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी 1.30 गुना				
9	सिंगल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन						
9.1	एलटी पर आपूर्ति	-			5.50 रू./किलोवाट घंटा		
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-			5.00 रू./केवीएएच		

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यौरे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची वित्त वर्ष 2018-19

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	125 रु./किलोवाट/माह	3.00 रु./किलोवाट घंटा	4.50 रु./किलोवाट घंटा	6.50 रु./किलोवाट घंटा	7.00 रु./किलोवाट घंटा	7.75 रु./किलोवाट घंटा
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	140 रु./किलोवाट/माह					
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	175 रु./किलोवाट/माह					
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	200 रु./किलोवाट/माह					
ड	> 25किलोवाट	250 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल प्वाइंट डिलीवरी आपूर्ति	150 रु./किलोवाट/माह	4.50 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएएच				
3	औद्योगिक	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएएच				
4	कृषि एवं मशरूम कल्टीवेशन	125 रु./किलोवाट/माह	1.50 रु./किलोवाट घंटा				
5	सार्वजनिक यूटिलिटीयां	250 रु./केवीए/माह	5.75 रु./केवीएएच				
6	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएएच				
7	विज्ञापन और होर्डिंग	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएएच				
8	अस्थायी आपूर्ति						
8.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर				
8.2	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर				
8.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी 1.30 गुना				
9	सिग्नल डिलीवरी प्वाइंट पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन						
9.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा				
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएएच				

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यारे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची वित्त वर्ष 2018-19

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	125 रु./किलोवाट/माह					
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	140 रु./किलोवाट/माह	3.00 रु./किलोवाट घंटा	4.50 रु./किलोवाट घंटा	6.50 रु./किलोवाट घंटा	7.00 रु./किलोवाट घंटा	7.75 रु./किलोवाट घंटा
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	175 रु./किलोवाट/माह					
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	200 रु./किलोवाट/माह					
ङ	>25 किलोवाट	250 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल प्वाइंट डिलीवरी आपूर्ति	150 रु./किलोवाट/माह	4.50 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएच				
3	औद्योगिक	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएच				
4	कृषि एवं मशरूम कल्टीवेशन	125 रु./किलोवाट/माह	1.50 रु./किलोवाट घंटा				
5	सार्वजनिक यूटिलिटियां	250 रु./केवीए/माह	5.75 रु./केवीएच				
6	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएच				
7	विज्ञापन और होर्डिंग	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएच				
8	अस्थायी आपूर्ति						
8.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर				
8.2	शेसिंग मौसम के दौरान शेसरो के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर				
8.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी 1.30 गुना				
9	सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन						
9.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा				
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएच				
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएच				

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यारे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

टैरिफ अनुसूची वित्त वर्ष 2018-19

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार				
1	घरेलू						
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शन		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
			यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट	यूनिट
क	2 किलोवाट तक	125 रु./किलोवाट/माह	3.00 रु./किलोवाट घंटा	4.50 रु./किलोवाट घंटा	6.50 रु./किलोवाट घंटा	7.00 रु./किलोवाट घंटा	7.75 रु./किलोवाट घंटा
ख	>2 किलोवाट और ≤5 किलोवाट	140 रु./किलोवाट/माह					
ग	>5 किलोवाट और ≤15 किलोवाट	175 रु./किलोवाट/माह					
घ	>15 किलोवाट और ≤25 किलोवाट	200 रु./किलोवाट/माह					
ङ	>25 किलोवाट	250 रु./किलोवाट/माह					
1.2	जीएचएस के लिए 11 केवी पर सिंगल प्वाइंट डिलीवरी आपूर्ति	150 रु./किलोवाट/माह	4.50 रु./किलोवाट घंटा				
2	गैर-घरेलू	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएएच				
3	औद्योगिक	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएएच				
4	कृषि एवं मशरूम कल्टीवेशन	125 रु./किलोवाट/माह	1.50 रु./किलोवाट घंटा				
5	सार्वजनिक यूटिलिटीयां	250 रु./केवीए/माह	5.75 रु./केवीएएच				
6	दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	250 रु./केवीए/माह	7.25 रु./केवीएएच				
7	विज्ञापन और होर्डिंग	250 रु./केवीए/माह	8.00 रु./केवीएएच				
8	अस्थायी आपूर्ति						
8.1	समूह हाउसिंग सोसाइटियों सहित घरेलू कनेक्शन	संगत श्रेणी की समान दरों पर	बिना किसी अस्थाई सर चार्ज के संगत श्रेणी की समान दरों पर				
8.2	थ्रेसिंग मौसम के दौरान थ्रेसरों के लिए	एमसीडी का विद्युत कर: प्रति कनेक्शन पर 270 रु. प्रतिमाह	5,400 रु. प्रतिमाह की समान दर				
8.3	निर्माण परियोजनाओं सहित अन्य सभी कनेक्शनों पर	संगत श्रेणी की समान दरों पर	टैरिफ की संगत श्रेणी 1.30 गुना				
9	सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन						
9.1	एलटी पर आपूर्ति	-	5.50 रु./किलोवाट घंटा				
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएएच				
9.2	एचटी पर आपूर्ति	-	5.00 रु./केवीएएच				

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त टैरिफ अनुसूची के ब्यारे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आदेशों में उपलब्ध हैं और जो आम जनता के लिए डीईआरसी की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1871

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जाना

1871. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं, और क्या ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाए जा रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) जो विद्युत मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है, निम्नलिखित ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

- (i) बड़े ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए निष्पादन, उपलब्धि तथा व्यापार (पीएटी) योजना जिसके अंतर्गत ऊर्जा सघन उद्योगों की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने का लक्ष्य है, पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा 3 वर्ष की अवधि के बाद इसका मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 क्षेत्रों से 956 ऊर्जा सघन उद्योग अथवा नामित उपभोक्ता (डीसी) कवर किए गए हैं।
- (ii) उपस्कर क्षेत्र में मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य लेबलीकृत उपस्करों/उपकरणों की ऊर्जा तथा लागत बचत क्षमता के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 23 उपस्कर हैं जिनमें 10 अनिर्वाय क्षेत्र तथा शेष 13 ऐच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- (iii) वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) 2017 में अद्यतन किए गए थे। अद्यतन कोड में उन नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें 100 केडब्ल्यू का कनेक्टेड भार है अथवा 120 केवीए अथवा इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है। बीईई ने इको निवास संहिता (भाग 1: बिल्डिंग एन्वैलप) की शुरुआत भी की है जो दिसंबर, 2018 में आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा कोड है। इसके अतिरिक्त भवनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है जो केडब्ल्यूएच/एसक्यूएम/वर्ष में प्रदर्शित भवनों में ऊर्जा उपयोग पर आधारित होता है तथा यह कार्यालय भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं बीपीओ के लिए लागू होता है।
- (iv) परिवहन क्षेत्र में यात्री कारों के लिए अप्रैल 2015 में कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई) मानक अधिसूचित किए गए थे तथा ऐसे हैवी इयूटी वाहन जिनका सकल वाहन वजन 12 टन से अधिक है के लिए अगस्त 2017 में ईंधन एफिशिएंसी मानक अधिसूचित किए गए थे।

माननीय प्रधान मंत्री ने 5 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत दो घटक हैं (1) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए सबके लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) (2) 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएमपी)। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जो विद्युत मंत्रालय के अधीन पीएसयू का संयुक्त उद्यम है कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है, आज की स्थिति तक ईईएसएल ने देश में 35.16 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं तथा 92 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

(ग) और (घ) : देश में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूकता लाने के लिए प्रक्रियाबद्ध प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- (i) विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग तथा अन्य संस्थापनों के प्रयासों की सराहना तथा प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का आयोजन करता है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अर्थात् 14 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं।
- (ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष स्कूल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष चौथी से नवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्र कला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है तथा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर रहा है।
- (iii) राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता संबंधी जागरूकता/ आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेम्पलेट, बुकलेट, बाउचर, पोस्टर जैसी प्रचारात्मक सामग्री तैयार करना तथा उसका वितरण और ऊर्जा दक्ष उत्पादों तथा सेवाओं के ऊर्जा संरक्षण एवं जागरूकता अभियान के लिए उपयुक्त अभियान शामिल हैं।
- (iv) ऊर्जा के विभिन्न अंतिम उपभोक्ताओं अर्थात् बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग, नगर पालिकाओं, वाणिज्य तथा आवासीय भवन, किसान (कृषि क्षेत्र) विद्युत कंपनियां तथा ऊर्जा कारोबारियों, अधिकृत/प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक, ऊर्जा प्रबंधक, नामित उपभोक्ता, भवन व्यवसायी, वास्तुकार, वित्तीय संस्थान तथा ऊर्जा सेवा कंपनियों के बीच जागरूकता तथा प्रचारात्मक सूचना देने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- (v) एलईडी बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ईईएसएल ने #ILED Theway अभियान नाम से, डिजिटल प्लेटफार्म तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रिय प्रकाशनों, रेडियो, पत्रिकाओं में विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन, आउट डोर मीडिया तथा मोबाइल वैन के परियोजन के माध्यम से अभियान शुरू किए हैं।

स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से बीईई द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों से परिणामस्वरूप आंकलित ऊर्जा बचत इस प्रकार है:

- 86.1 बीयू की ऊर्जा बचत अर्थात् देश की कुल ऊर्जा खपत का 7.14%; तथा 41,799.40 करोड़ रुपए की लागत बचत के फलस्वरूप विद्युत बचत तथा 69.08 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी।
- 9.41 मिलियन टन ऑयल इक्विवैलेंट की ताप विद्युत बचत के परिणामस्वरूप 11,828.38 करोड़ रुपए की लागत बचत के फलस्वरूप ताप विद्युत बचत तथा 39.20 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी।
- 16.62 मिलियन टन ऑयल इक्विवैलेंट की कुल ऊर्जा बचत अर्थात् देश की कुल मुख्य ऊर्जा आपूर्ति का 1.97%।
- लगभग 53,627 करोड़ रुपए की कुल लागत बचत।
- कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 108 मिलियन टन वार्षिक की कमी।

ईईएसएल ने आंकलन किया है कि नेशनल एलईडी प्रोग्राम के परिणामस्वरूप 10000 मेगावाट की बचाई गई व्यस्ततम मांग तथा 41 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्बनडाई ऑक्साइड के आंकलित जीएचजी उत्सर्जन में कमी सहित 51 बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष की आंकलित विद्युत बचत हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1872

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु निवेश

1872. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन.टी.पी.सी. ने अपनी कई विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु निवेश को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एन.टी.पी.सी. आगामी दिनों में देशभर में और अधिक ताप संयंत्र स्थापित करने पर भी ध्यान दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने निम्नलिखित विस्तार परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया है:

स्टेशन	राज्य (जिला)	निवेश अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)
तालचर टीपीएस (2x660 मेगावाट)	ओडिशा (अंगुल)	08.09.2018	10400.77
टांडा टीपीएस (2x660 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश (अंबेडकर नगर)	10.09.2014	10016.10

(ग) और (घ) : देश में एनटीपीसी की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में एनटीपीसी की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	जिला	परियोजना	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली परियोजनाएं					
1.	बिहार	पटना	बाढ़-I	कोयला	1980
2.	बिहार	बेगूसराय	बरोनी	कोयला	500
3.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	लारा-I	कोयला	800
4.	झारखंड	चतरा	नॉर्थ करणपुरा	कोयला	1980
5.	मध्य प्रदेश	खरगोन	खरगोन	कोयला	1320
6.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	गदरवारा-I	कोयला	800
7.	ओडिशा	सुंदरगढ़	दार्लीपल्ली-I	कोयला	1600
8.	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	टांडा-II	कोयला	1320
9.	तेलंगाना	करीमनगर	तेलंगाना	कोयला	1600
उप-जोड़					11900
सहायक/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं					
10.	झारखंड	रामगढ़	पतरातु, पीवीयूएनएल	कोयला	2400
11.	बिहार	औरंगाबाद	नबीनगर, बीआरबीसीएल	कोयला	250
12.	बिहार	औरंगाबाद	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	कोयला	1980
13.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	मेजा, एमयूएनपीएल	कोयला	660
14.	ओडिशा	राउरकेला	राउरकेला पीपी-II	कोयला	250
15.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	दुर्गापुर पावर प्रोजेक्ट-III	कोयला	40
उप-जोड़					5580
कुल जोड़ (मेगावाट)					17480

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1873

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिहार में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति

1873. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा/लागत इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : कार्यान्वयन एजेंसी, चालू करने की मूल अनुसूची, वर्तमान अनुमोदित लागत और विलंब के कारणों संबंधी ब्यौरे सहित बिहार में पहले से ही निर्माणाधीन संयंत्रों की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1873 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बिहार राज्य में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/ कार्यकारी एजेंसी	चालू होने की मूल अनुसूची	वर्तमान अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति/ टाईमलाइन	विलंब के कारण
1.	बाढ़-I (3x660 मेगावाट) एनटीपीसी	2011-12	21312.11	चालू होने की संभावना: 2021-22	<ul style="list-style-type: none"> वैंडर मैसर्स टीपीई द्वारा मुख्य संयंत्र (एसजी एवं सहायक पैकेज) में अत्यधिक विलंब। मैसर्स टीपीई ने अक्टूबर, 2013 से काम करना बन्द कर दिया और 14.01.2015 को मैसर्स टीपीई का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। शेष कार्य के लिए जनवरी, 2016 में कॉन्ट्रैक्ट पुनः अवार्ड किया गया। मैसर्स पावर मशीन (टीजी पैकेज) के गैर-निष्पादन के कारण विलंब। यूनिट-I के बॉयलर के हाइड्रो टेस्ट के दौरान, मैसर्स टीपीई द्वारा आपूर्ति किए गए, क्वाइल्स के फेल होने के कारण विलंब। तदनुसार, सामग्री के बदलने के लिए अनुमोदन लिया गया और आपूर्ति, डिस्मैलिंग और क्वाइल के संस्थापन के लिए 15.01.2018 को कॉन्ट्रैक्ट मैसर्स जीई को अवार्ड किया गया। पावर मशीन, रूस पर यूएस स्वीकृति के कारण विलंब हुआ, जिससे शेष टीजी आपूर्ति और कार्य प्रभावित हुए। पूर्व में भूमि अधिग्रहण/ वास्तविक अधिकार के कारण विलंब। वर्ष 2010 में समेकन की कमी चूंकि बिहार माइजर मिनरल कन्शेसन (संशोधन) नियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षित करने, खदानों की स्टोन क्वेरी बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी।
2.	बरौनी (2x250 मेगावाट) एनटीपीसी	बिहार सरकार अधिग्रहीत की गई।	15.12.2018 को	चालू होने की संभावना: 2021-22	कोई विलंब नहीं।
3.	बीआरबीसीएल	2012-13	9582.89	• यूनिट-I,II एवं	• भूमि अधिग्रहण में विलंब।

	नबीनगर जेवी (4x250 मेगावाट) एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम		(अनुमोदन अधीन)	<p>III चालू हो गई हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> यूनिट-IV निर्माणाधीन हैं। चालू होने की संभावना: 2021-22 	<ul style="list-style-type: none"> पूर्व में लगातार कानूनी समस्याएं/व्यवधान/बन्द। एनसीएलटी के अधीन सीएचपी (मैसर्स टैकप्रो.) एजेंसी के तत्परता में विलंब। एनसीएलटी के अधीन एएचपी (मैसर्स इन्डयोर) एजेंसी के तत्परता में विलंब। भेल द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब। एनसीएलटी के अंतर्गत (मैसर्स इरा) एजेंसी, सिविल एजेंसी के कमजोर कार्यान्वयन के कारण विलंब
4.	एनपीजीसीपीएल नबीनगर (3x600 मेगावाट) एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम	2018-19	17304.33	<ul style="list-style-type: none"> निर्माणाधीन चालू होने की संभावना: 2021-22 	<ul style="list-style-type: none"> भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण रेलवे साइडिंग और मार्क-अप-वाटर (एमयूडब्ल्यू) पाईप कोरिडोर के कार्य प्रभावित हुए। मुख्य संयंत्र से हाउस स्टेट आउस्टीस (एचएसओ) और ऐश डाइक केवल मार्च, 16/जून, 17 में शिफ्ट हुए। पूर्व में लगातार कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं। एनसीएलटी के अंतर्गत एएचपी (मैसर्स डीसीआईपीएस) एजेंसी की तैयारी में विलंब। सीएचपी (मैसर्स टीआरएफ) की तैयारी में विलंब। एनसीएलटी के अंतर्गत (मैसर्स इरा) एजेंसी, सिविल एजेंसी के कमजोर कार्यान्वयन के कारण विलंब
5.	बक्सर टीपीपी 2x660 मेगावाट सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) थर्मल (पी) लि. (एसजेवीएन लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	पहली इकाई में 52 महीनों से 8.03.2019 तक दूसरी इकाई 6 महीने के अंतराल और उसके बाद।	8.03.2019 को 10439.09 करोड़ रुपये की लागत का निवेश का अनुदान दिया गया।	22.06.2019 ईपीसी आधार पर मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवाई किया गया। जुलाई 2023 तक शुरु होने का संभावना।	कोई विलंब नहीं।

विलंब के कारणों की उनके संयंत्रों के संबंध में एनटीपीसी/एसजेवीएनएल द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। विद्युत मंत्रालय भी एनटीपीसी/एसजेवीएनएल की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों के दौरान परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1874

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश को आईपीडीएस योजना के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग

1874. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य को समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) योजना के तहत शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विभिन्न शहरों में कार्य संपन्न किए जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (ग) आईपीडीएस के तहत स्कीम-वार और योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा आवंटित की गई है; और
- (घ) इस योजना के तहत पहले जारी की जा चुकी राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत 940.84 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें 805.68 करोड़ रुपए मूल्य की वितरण सुदृढीकरण परियोजनाएं, 19 नगरों के लिए 32.49 करोड़ रुपए मूल्य की आईटी समर्थित परियोजनाएं, 25.04 करोड़ रुपए मूल्य की उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) परियोजनाएं, 62.19 करोड़ रुपए मूल्य की स्मार्ट मीटर परियोजनाएं तथा 15.44 करोड़ रुपए मूल्य की रियल टाइम डाटा इक्वीजेशन सिस्टम (आरटी-डीएस) परियोजनाएं शामिल हैं। सभी 13 सर्किलों में वितरण सुदृढीकरण परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं तथा सभी 19 नगरों में आईटी समर्थित कार्य भी पूरा हो गया है। 25 करोड़ रुपए मूल्य की ईआरपी परियोजनाओं को ठेका दे दिया गया है।

(घ) : आईपीडीएस के अंतर्गत राज्य यूटिलिटीयों को अब तक 348.70 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1875

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

ताप विद्युत उत्पादन में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग

1875. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश की पेरिस जलवायु समझौता, 2016 के अनुरूप ताप विद्युत उत्पादन हेतु स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोई प्रतिबद्धता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायता के लिए ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग आरंभ करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पेरिस समझौते के तहत, भारत 2030 तक 2005 स्तरों से नीचे 33 से 35 प्रतिशत करके अपनी जीडीपी के अपनी ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन सघनता कम करके ग्लोबल इनवायरमेंट में सुधार करने तथा 2030 तक गैर जैवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से अपनी संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार विद्युत क्षेत्र से कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने के लिए पहले ही कई पहल कर चुकी है। इन पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी (ए-यूएससी) के कार्यान्वयन तथा पुरानी और अदक्ष ताप विद्युत इकाइयों को बंद करने के जरिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजी शुरू करना शामिल है। SO_x और NO_x नियंत्रण के संबंध में नए पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र इकाइयों के लिए पहले ही कार्यान्वयन योजना बनाई जा चुकी है। नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन हेतु SO_x में कमी करने हेतु फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) का कार्यान्वयन तथा NO_x कम करने के लिए कम्बुजेशन मोडिफिकेशन की भी योजना बनाई गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1876
जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

राजस्थान में विद्युत की कमी

1876. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों से राजस्थान के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विद्युत की अत्यधिक कमी हो गई है;
- (ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान में अधिक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कोई नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
- (ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों में नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शुरू करने हेतु कार्य आरंभ किया गया था उनके नाम क्या हैं और तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) नई परियोजना स्थापित किए जाने के बजाय राजस्थान में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के लिए राजस्थान के वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। जो दर्शाता है कि राजस्थान में ऊर्जा कमी 1 प्रतिशत से कम है।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में चालू की गई राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य का 2017-18 में चालू किए गए केंद्रीय क्षेत्र के

मेजा एसटीपीपी यूनिट-1 (उत्तर प्रदेश में स्थित) में 35 मेगावाट का निश्चित हिस्सा है। राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 2266.16 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। इनका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) : सीईए ने उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य में वर्तमान में निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) का है। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) सहित अपनी योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देती है। ये योजनाएं वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा सभी उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी सहायता करती है।

भारत सरकार केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करके ही सहायता करती है। वर्तमान में राजस्थान को सीजीएस से 3413 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। राज्य मांग और आपूर्ति में किसी अंतर को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के जरिए भी विद्युत खरीद सकता है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के लिए राजस्थान की विद्युत आपूर्ति स्थिति

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
			(एमयू)	(%)
2016-17	67,838	67,415	423	0.6
2017-18	71,194	70,603	591	0.8
2018-19	79,815	79,626	189	0.2
2019-20 (मई, 2019 तक)*	13,313	13,300	13	0.1

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में चालू की गई राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं:

परियोजना का नाम	प्रकार	राज्य/परियोजना का स्थान	वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
छाबड़ा टीपीपी एक्सटेंशन यू-5	थर्मल	राजस्थान	2017-18	660
छाबड़ा टीपीपी एक्सटेंशन यू-6	थर्मल	राजस्थान	2018-19	660

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019) के दौरान चालू की गई स्रोत-वार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

(मेगावाट में)

सौर विद्युत	पवन विद्युत	लघु जल विद्युत	जैव-विद्युत	वेस्ट टू एनर्जी	कुल
1955.51	305.7	0	4.95	0	2266.16

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राजस्थान राज्य में निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

परियोजना का नाम	प्रकार	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
बरसिंगसर टीपीपी एक्सटेंशन यू-1	थर्मल	केंद्रीय	250
बिथनोक टीपीपी यू-1	थर्मल	केंद्रीय	250
सूरतगढ़ एसटीपीपी यू-7	थर्मल	राज्य	660
सूरतगढ़ एसटीपीपी यू-8	थर्मल	राज्य	660

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1877
जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादक कंपनियों पर ऋण

1877. श्री संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में 34 विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 1.74 लाख करोड़ रुपए का ऋण संचित हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र को संभावित अशोध्य ऋणों से बाहर निकालने हेतु सरकार की क्या योजना है; और
- (ग) विगत दो वर्षों से इन 34 विद्युत उत्पादक कंपनियों की ऋण राशि का कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, 1.77 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित ऋण वाली 34 ताप विद्युत (कोयला आधारित) विद्युत परियोजनाएं संकटग्रस्त थीं।

(ख) : विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(ग) : सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1877 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था।

उसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- (i) लघु अवधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोयला लिंकेज मंजूर करना।
- (ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान चूक के कारण पीपीए की समाप्ति के मामले में प्रयोग किए जाने हेतु मौजूदा कोयला लिंकेज की अनुमति देना।
- (iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के लिए नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत का प्रापण।
- (iv) केंद्रीय/राज्य जेनको द्वारा विद्युत समूहक के रूप में कार्य करना।
- (v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि करना।
- (vi) नियमित अंतराल पर कोयला लिंकेज की नीलामी किया जाना।
- (vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नॉन-लैप्सिंग।
- (viii) दक्षता आधार पर वार्षिक संविदा मात्रा (एसीक्यू) निर्धारित किया जाना।
- (ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) का अनिवार्य भुगतान।
- (x) राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण (एनसीएलटी) परिदृश्य के बाद विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालीन खुली पहुँच (एलटीओए) को रद्द न करना।
- (xi) वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) का अनुपालन न होने की स्थिति में पीपीए का गैर-निरस्तीकरण।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1878

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण लाइनों का परित्याग करने पर वसूली

1878. श्री टी. के. रंगराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में बंद की गई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की संख्या और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों के लिए लगाई जाने वाली विद्युत पारेषण लाइनों का क्या होता है;

(ग) क्या सरकार इन पारेषण लाइनों का परित्याग करने के एवज में इन कंपनियों से वसूली करती है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों की कुल 109 विद्युत उत्पादन ईकाइयां बन्द की गई हैं। विगत तीन वर्षों (अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान बन्द की गई विद्युत उत्पादन ईकाइयों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

अन्तर-राज्य उत्पादन स्टेशन (आई एस जी एस) श्रेणी के अन्तर्गत उन उत्पादन परियोजनाओं जिनका विगत 3 वर्षों के दौरान परित्याग कर दिया गया है/अनिश्चित हैं, की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) : उत्पादन स्टेशनों से संबद्ध बन्द की गई विद्युत पारेषण लाइनें मामला-दर-मामला आधार पर उनकी स्थिति और प्रणाली की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए ग्रिड परिसम्पत्ति के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं अथवा रि-रूट की जा सकती हैं।

सामान्यतया विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण देश के विभिन्न भार केन्द्रों के लिए उत्पादन पाकेट में उत्पादन के क्लस्टर के लिए किया गया है। इन पारेषण लाइनों का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के लिए शेष उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के अन्तरण के लिए किया जा रहा है।

(ग) : सीईआरसी (अन्तर राज्य पारेषण में कनेक्टिविटी, दीर्घकालीन पहुंच और मध्यम कालीन खुली पहुंच प्रदान करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2009 के विनियम 18 के अनुसार एक दीर्घकालीन उपभोक्ता फंसी हुई क्षमता की क्षतिपूर्ति का भुगतान करके दीर्घकालीन पहुंच के पूरे कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व दीर्घ कालीन पहुंच अधिकार पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से छोड़ सकता है।

तदनुसार दिनांक 08-03-2019 की याचिका संख्या 92/एमपी/2015 में सीईआरसी के आदेश में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार फंसी हुई क्षमता दीर्घकालीन पहुंच छोड़ने वाले प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा देय क्षतिपूर्ति (परित्याग) की गणना की गई है।

(घ) : इन परित्यक्त/अनिश्चित उत्पादकों के लिए अब तक उपयोग की गई कुल बैंक गारंटी (बीजी) 650.94 करोड़ रूपए हैं। इसमें से 98.13 करोड़ रूपए लम्बित पारेषण प्रभारों के लिए समायोजित किए गए हैं और शेष को सीईआरसी आदेशों के अनुसार परित्याग प्रभारों के लिए समायोजित किया जाना है। परित्याग प्रभारों के भुगतान के लिए बिल इन उत्पादकों को दिए जा रहे हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1878 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों 2016-17, 2017-18 व 2018-19 के दौरान बंद हुई विद्युत उत्पादन यूनिटों की सूची

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	यूटिलिटी	ईंधन	यूनिटों की सं.	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	बंद (मेगावाट)	को बंद
1	न्यू कोसीपोर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	सीएसईसी	स्टीम	4	1,2,3,4	160 (2*30+2*50)	160.00	04.04.2016
2	पानीपत टीपीएस	हरियाणा	एचपीजीसीएल	स्टीम	4	1,2,3,4	440 (4*110)	440.00	12.04.2016
3	कोझीकोड डीजी	केरल	केएसईबी	डीजल	2	1,4	32 (2*16)	32.00	28.04.2016
4	ब्रह्मपुरम डीजी	केरल	केएसईबी	डीजल	2	2,3	42.64 (2*21.32)	42.64	28.04.2016
5	मैथॉन जीपीएस	झारखंड	डीवीसी	गैस	3	1,2,3	90 (3*30)	90.00	29.07.2016
6	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	स्टीम	4	1,2,3,4	420 (4*105)	420.00	02.08.2016
7	चंद्रपुर (एमएएच) एसटीपीएस	झारखंड	डीवीसी	स्टीम	2	1,2	420 (2*210)	420.00	21.10.2016
8	पार्ली टीपीएस	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	स्टीम	1	3	210 (1*210)	210.00	21.10.2016
9	दुर्गापुर टीपीएस (डिरेटेड क्षमता)	पश्चिम बंगाल	डीवीसी	स्टीम	1	3	130 (1*130)	130.00	21.10.2016
10	पतरातु टीपीएस	झारखंड	जेयूएनएल	स्टीम	5	1,2,3,5,8	315 (3*40+1*90+1*105)	315.00	21.12.2016
11	संतालडीह टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	स्टीम	4	1,2,3,4	480 (4*120)	480.00	21.12.2016
12	गांधीनगर टीपीएस	गुजरात	जीएसईसीएल	स्टीम	2	1,2	240 (2*120)	240.00	12.01.2017
13	एन्नोर टीपीएस	तमिलनाडु	टांजैडको	स्टीम	1	5	110.00	110.00	12.01.2017
14	लकवा जीटी	असम	एपीजीसीएल	गैस	1	1	15.00	15.00	12.01.2017
15	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस (डिरेटेड क्षमता)	झारखंड	डीवीसी	स्टीम	1	1	130 (1*130)	130.00	17.01.2017
16	बेलगॉम डीजी	कर्नाटक	टाटा पावर कं. लि.	डीजल	5	1,2,3,4,5	81.30 (5*16.26)	81.30	18.01.2017
17	ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	टाटा पावर कं. लि.	स्टीम	1	4	150 (150*1)	150.00	08.02.2017
18	डीपीएल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	स्टीम	3	3,4,5	220 (70+2*75)	220.00	20.02.2017
19	एन्नोर टीपीएस	तमिलनाडु	टांजैडको	स्टीम	4	1,2,3,4	340 (2*60+2*110)	340.00	31.03.2017
20	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	स्टीम	1	5	200 (1*200)	200.00	24.04.2017
21	उतरन सीसीपीपी (अपरेटेड क्षमता)	गुजरात	जीएसईसीएल	गैस	1	1	144 (3*33+1*45)	144.00	04.05.2017

22	चंद्रपुर (असम)	असम	एपीजीसीएल	स्टीम	2	1,2	60 (2*30)	60.00	18.08.2017
23	उकई टीपीएस	गुजरात	जीएसईसीएल	स्टीम	2	1,2	240 (2*120)	240.00	18.08.2017
24	सिक्का रिप. टीपीएस	गुजरात	जीएसईसीएल	स्टीम	2	1,2	240 (2*120)	240.00	18.08.2017
25	हरदुआगंज टीपीएस	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	स्टीम	1	5	60 (1*60)	60.00	18.08.2017
26	ओबरा टीपीएस (डिरेटेड क्षमता)	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	स्टीम	2	1,2	90 (1*40+2*50)	90.00	18.08.2017
27	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	महार्जेको	स्टीम	1	2	210 (1*210)	210.00	31.08.2017
28	चिनकौरी टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डीपीएससीएल लि.	स्टीम	3	1,2,3	30 (3*10)	30.00	31.08.2017
29	दिशेरगढ़ टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डीपीएससीएल लि.	स्टीम	4	1,3,4,5	18 (1*3+3*5)	18.00	31.08.2017
30	सीबपोर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डीपीएससीएल लि.	स्टीम	4	1,2,3,4	8.375 (3+1.5+1.875+2)	8.38	31.08.2017
31	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	डीवीसी	स्टीम	1	2	130 (1*130)	130.00	04.09.2017
32	बोकारो 'बी' टीपीएस	झारखंड	डीवीसी	स्टीम	2	1,2	420 (2*210)	420.00	04.09.2017
33	नामरूप सीसीपीपी	असम	एपीजीसीएल	गैस	1	1	20 (1*20)	20.00	24.10.2017
34	लकवा जीटी	असम	एपीजीसीएल	गैस	1	4	15 (1*15)	15.00	24.10.2017
35	पतरातु टीपीएस	झारखंड	एनटीपीसी	स्टीम	5	4,6,7,9 व 10	455 मेगावाट (1*40+1*90+1*105+2*110)	455.00	23.11.2017
36	पंकी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	स्टीम	2	3,4	210 (2*105)	210.00	16.03.2018
37	ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	स्टीम	1	8	94 (1*94)	94.00	03.04.2018
38	बंदेल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	स्टीम	2	3,4	120 (2*60)	120.00	20.04.2018
39	लकवा जीटी	असम	एपीजीसीएल	गैस	2	2,3	30 (2*15)	30.00	02.07.2018
40	भटिंडा टीपीएस	पंजाब	पीएसपीसीएल	स्टीम	4	1,2,3,4	440(4*110)	440.00	31.08.2018
41	रोपार टीपीएस	पंजाब	पीएसपीसीएल	स्टीम	2	1,2	420(2*210)	420.00	31.08.2018
42	बदरपुर टीपीएस	दिल्ली	एनटीपीसी	स्टीम	5	1,2,3,4,5	705 (3*95+2*210)	705.00	30.10.2018
43	बेसिन ब्रिज डीजी	तमिलनाडु	टांजैडको	डीजल	4	1,2,3,4	200 (4*50)	200.00	28.12.2018
44	नैवेली टीपीएस-I	तमिलनाडु	एनएलसी	स्टीम	1	7	100 (1*100)	100.00	06.02.2019
45	कोथागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	टांजैडको	स्टीम	3	3,6,8	300(1*60+2*120)	300.00	19.03.2019
	कुल							8985.32	

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईएसजीएस श्रेणी के अंतर्गत उत्पादन परियोजनाओं की सूची जो पिछले तीन वर्षों में परित्याग/अनिश्चित छोड़ दी गई

क्रम सं.	परित्याग की गई उत्पादन परियोजनाओं के नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	लैंको बाबंध पावर प्रा. लि.	2x660
2	मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड	2x525
3	नवभारत पावर प्रा. लि.	3x350
4	इंड बराथ एनर्जी (उत्कल) लि.	2x350
5	केवीके नीलाचल पावर प्रा. लि.	3x350
6	कारपोरेट पावर लि. फेज-I	2x270
7	कारपोरेट पावर लि. फेज-II	2x270
8	एस्सार पावर (झारखंड) लि.	2x600
9	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	4x125
10	मध्य भारत पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2x48
11	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर भास्मे पावर प्रा. लि.	2x25.5
12	आर्यन एमपी पावर जेनरेशन प्रा. लि.	2x600
13	धीरू पावर जेन.	3x350
14	वीसा पावर	1x600+1x660
15	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	2x600
16	लैंको अमरकंटक पावर लि.	2x660
17	वंदना विद्युत लि.	2x135+1x270
18	एस्सार पावर गुजरात लि.	3240
19	सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि.	1x350
20	पीपावाव एनर्जी लिमिटेड	2x600
21	इंड बराथ पावर (मद्रास) लि.	2x660
22	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा. लि.	2x660
23	पीईएल पावर लि.	3x350
24	समलकोट पावर लि.	6x236+3x266

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1879

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को सुरक्षोपाय प्रदान किया जाना

1879. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए विद्युत परियोजना वाली कंपनियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों और सरकार के बीच आदान प्रदान की गई कठिनाइयों और विचारों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपचारात्मक उपायों और उनके सुरक्षोपाय हेतु प्रदान की जाने वाली छूटों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : सरकार ने देश में संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों के संबंध में विकासकर्ताओं और ऋण प्रदाताओं सहित सभी पणधारकों के साथ परामर्श किया है। इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में एक उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की गई थी जिसने नवंबर, 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में विद्युत क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति, मंद मांग, डिस्कॉमों द्वारा विलंबित भुगतान, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे, प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रियाओं में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अधिक टैरिफ, नीलामी की गई कोयला खानों से संबंधित कानूनी मुद्दे, विनियामक और संविदागत विवाद, साम्या लगाने के लिए प्रवर्तकों की असक्षमता, मंद कार्यान्वयन तथा अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे जैसे घटक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में संकट के कारण के रूप में अभिचिन्हित किए गए थे। उपरोक्त मुद्दों के संबंध में, बाद में मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा भी विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) : सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (i) लघु अवधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोयला लिंकेज मंजूर करना।
- (ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान चूक के कारण पीपीए की समाप्ति के मामले में प्रयोग किए जाने हेतु मौजूदा कोयला लिंकेज की अनुमति देना।
- (iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के लिए नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत का प्रापण।
- (iv) केंद्रीय/राज्य जेनको द्वारा विद्युत समूहक के रूप में कार्य करना।
- (v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि करना।
- (vi) नियमित अंतराल पर कोयला लिंकेज की नीलामी किया जाना।
- (vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नॉन-लैप्सिंग।
- (viii) दक्षता आधार पर वार्षिक संविदा मात्रा (एसीक्यू) निर्धारित किया जाना।
- (ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) का अनिवार्य भुगतान।
- (x) राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण (एनसीएलटी) परिदृश्य के बाद विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालीन खुली पहुँच (एलटीओए) को रद्द न करना।
- (xi) वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) का अनुपालन न होने की स्थिति में पीपीए का गैर-निरस्तीकरण।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1880
जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत अधिप्रापण एवं वितरण कंपनी

1880. श्री डी. राजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मौजूदा अक्षम डिस्कॉमों (वितरण कंपनियों) को चुनौती देने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत अधिप्रापण और वितरण कंपनी (एनपीपीडीसी) स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ने वितरण क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए 50:50 साम्या भागीदारी के साथ एक राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी बनाने के लिए 21 जून, 2019 को एक संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1881

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अधिदेशित कार्य का अनुपालन

1881. श्री नारणभाई जे. राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विद्युत अधिनियम 2003 में निजी विद्युत वितरण कंपनियों के वितरण कार्य और उन पर विद्युत अधिभार प्रभारित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में उल्लिखित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या अधिदेशित कार्यों का अनुपालन किया जा रहा है और क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों की जानकारी मांगी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में वितरण करने के लिए इच्छुक है तो उसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत वितरण लाइसेंस की मंजूरी के लिए उपयुक्त आयोग को अनुरोध करना होता है। आयोग अपेक्षित सावधानी के पश्चात तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने पर वितरण लाइसेंस मंजूर कर सकता है। अधिनियम की धारा 42 और 62 में अधिभार लगाने के बारे में उल्लेख है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) वितरण लाइसेंसी के लिए निष्पादन के मानक बनाते हैं जो उनके द्वारा पूरा किए जाने हेतु विभिन्न मानदंड विनिर्दिष्ट करते हैं। वितरण कंपनियों के निष्पादन की निगरानी एसईआरसी द्वारा की जा रही है। एसईआरसी द्वारा यह पता लगाया जाना अपेक्षित है कि उनके द्वारा निर्धारित अनुसार निष्पादन के मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इन मानदंडों का उल्लंघन करने पर दंड लगेगा जो निजी वितरण कंपनियों सहित सभी वितरण कंपनियों के लिए लागू होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1882

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सभी घरों का विद्युतीकरण

1882. श्री के. सी. राममूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय बिजली उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ 'गांव' तथा 'विद्युतीकृत' शब्दों को परिभाषित करता है;
- (ख) क्या यह सच है कि गांव के 10 प्रतिशत हिस्से अर्थात् किसी गांव में 10 में से एक घर का विद्युतीकरण करने पर यह मान लिया जाता है कि संपूर्ण गांव का विद्युतीकरण कर लिया गया है;
- (ग) देश में घरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और राज्य वार तथा जिला-वार उनमें से कितने घरों में बिजली है; और
- (घ) वर्ष 2022 तक सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने संबंधी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 18,734 घरों को छोड़कर 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। अतः विद्युतीकृत गांव की परिभाषा का अब कोई महत्व नहीं है। प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत के पश्चात विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 में विद्युतीकृत गांव के रूप में गांव की परिभाषा दी गई थी जो निम्नानुसार परिभाषित की गई है:

- (i) आधारभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों के साथ-साथ स्थल/साथ दलित बस्ती, जहाँ वे विद्यमान हैं, में उपलब्ध करा दी गई हो,
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि में विद्युत उपलब्ध करा दी गई हो तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% हो।

राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1882 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य पोर्टल के अनुसार 11.10.2017 से सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार और जिला-वार विद्युतीकरण

राज्य	जिला	घर	10 अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत घर	10 अक्टूबर, 2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत
आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	818,514	9,031	9,031
	चित्तूर	892,179	2,300	2,300
	पूर्वी गोदावरी	1,866,190	46,049	46,049
	गुंटूर	966,913	1,526	1,526
	कडप्पा (वाईएसआर)	512,419	4,037	4,037
	कृष्णा	946,870	135	135
	कुरनूल	729,882	5,368	5,368
	प्रकाशम	777,095	1,798	1,798
	श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर	667,843	651	651
	श्रीकाकुलम	792,722	16,684	16,684
	विशाखापत्तनम	771,534	41,713	41,713
	विजयनगरम	578,213	11,825	11,825
	पश्चिम गोदावरी	1,142,628	40,813	40,813
अरुणाचल प्रदेश	अंजॉ	5,261	684	684
	चांगलांग	29,622	6,893	6,893
	दिबांग वैली	1,622	217	217
	पूर्वी कामेंग जिला	11,611	5,082	5,082
	पूर्वी सियांग	23,724	3,647	3,647
	कुरुंग कुमे	15,462	3,793	3,793
	लोहित नामसाई	27,268	7,837	7,837
	लोअर दिबांग वैली	11,402	2,788	2,788
	लोअर सुबानसिरी	18,564	2,098	2,098
	पापुम पारे	48,085	3,607	3,607
	तवांग जिला	9,548	308	308
	तिरप	28,243	4,665	4,665
	अपर सियांग	7,226	158	158
	अपर सुबानसिरी	17,593	2,836	2,836
	पश्चिम कामेंग जिला	21,290	851	851
	पश्चिम सियांग	25,840	1,625	1,625
असम	बक्सा	206,371	78,023	78,023
	बारपेटा	361,158	114,311	114,311
	बोंगाईगांव	172,001	31,778	31,778
	कचर	320,586	89,596	89,596
	चिरांग	113,087	39,629	39,629
	दरांग	214,511	72,005	72,005
	धैमाजी	157,728	62,299	62,299

	धुबरी	514,950	127,318	127,318
	डिब्रूगढ़	326,897	64,065	64,065
	दीमा हसाओ	64,030	19,071	19,071
	गोलपाड़ा	294,773	97,834	97,834
	गोलाघाट	255,865	41,387	41,387
	हैलाकांडी	146,549	61,383	61,383
	जोरहाट	289,117	41,286	41,286
	कामरूप	314,732	75,060	75,060
	कामरूप महानगर	350,083	8,668	8,668
	कार्बी आंगलॉग	284,314	66,116	66,116
	करीमगंज	256,785	58,293	58,293
	कोकराझार	205,214	60,969	60,969
	लखीमपुर	229,301	69,746	69,746
	मारीगांव	242,346	47,834	47,834
	नागांव	580,318	98,452	98,452
	नलबाड़ी	162,399	41,561	41,561
	शिवसागर	240,310	56,477	56,477
	सोनितपुर	274,753	72,318	72,318
	तिनसुकिया	309,773	86,826	86,826
	उदलगुड़ी	214,656	62,844	62,844
बिहार	अररिया	413,131	170,052	170,052
	अरवल	81,238	22,261	22,261
	औरंगाबाद	346,081	136,274	136,274
	बांका	266,191	86,992	86,992
	बेगूसराय	469,941	85,128	85,128
	भागलपुर	420,548	144,501	144,501
	भोजपुर	343,398	68,394	68,394
	बक्सर	214,760	48,145	48,145
	दरभंगा	586,627	144,588	144,588
	गया	543,193	161,479	161,479
	गोपालगंज	378,322	64,805	64,805
	जमुई	244,430	83,265	83,265
	जहानाबाद	100,814	19,447	19,447
	कैमूर (भभुआ)	155,507	42,650	42,650
	कटिहार	347,597	156,033	156,033
	खगरिया	219,013	64,869	64,869
	किशनगंज	295,348	41,409	41,409
	लखीसराय	106,891	17,287	17,287
	मधेपुरा	283,836	53,722	53,722
	मधुबनी	599,213	110,711	110,711
	मुंगेर	205,281	18,835	18,835
	मुजफ्फरपुर	624,125	65,930	65,930
	नालंदा	451,934	46,958	46,958
	नवादा	336,388	157,082	157,082
	पश्चिम चंपारण	557,221	124,130	124,130
	पटना	933,212	62,016	62,016
	पूर्व चंपारण	596,357	189,512	189,512
	पूर्णिया	451,786	118,643	118,643
	रोहतास	354,982	47,922	47,922
	सहरसा	244,389	39,583	39,583
	समस्तीपुर	615,561	203,751	203,751
	सरन	483,219	108,275	108,275

	शेखपुरा	87,312	16,760	16,760
	शिवहर	83,970	11,492	11,492
	सीतामढ़ी	379,932	63,200	63,200
	सिवान	389,867	105,870	105,870
	सुपौल	340,477	84,722	84,722
	वैशाली	421,030	72,348	72,348
छत्तीसगढ़	बालोद	189,483	16,442	16,442
	बलौदा बाजार	186,492	40,862	40,862
	बलरामपुर	134,731	44,158	44,158
	बस्तर	171,251	58,779	58,779
	बेमेतरा	169,541	30,978	30,978
	बीजापुर	100,721	25,327	15,349
	बिलासपुर	510,620	51,156	51,156
	दंतेवाड़ा	71,689	26,852	26,390
	धमतरी	154,859	6,132	6,132
	दुर्ग	377,392	14,017	14,017
	गरियाबंध	99,840	32,140	32,140
	जांजगीर-चंपा	329,201	25,665	25,665
	जशपुर	161,734	57,408	57,408
	कबीरधाम	146,866	28,532	28,532
	कांकेर	143,350	23,638	23,638
	कोडागांव	124,621	19,630	19,630
	कोरबा	253,339	30,278	30,278
	कोरिया	117,693	23,590	23,590
	महासमुंद	189,752	9,311	9,311
	मुंगेली	227,918	26,012	26,012
	नारायणपुर	33,461	11,788	10,174
	रायगढ़	337,073	24,049	24,049
	रायपुर	871,706	12,433	12,433
	राजनंदगांव	195,087	24,688	24,688
	सुकमा	44,440	23,822	17,142
	सूरजपुर	163,815	36,573	36,573
	सरगुजा	217,104	43,871	43,871
गोवा	उत्तरी गोवा	74,704	0	0
	दक्षिणी गोवा	53,504	0	0
गुजरात	अहमदाबाद	449,027	1,593	1,593
	अमरेली	329,561	1,215	1,215
	आनंद	436,674	1,319	1,319
	बनासकांठा	559,157	1,449	1,449
	भरूच	351,988	1,104	1,104
	भावनगर	598,125	464	464
	छोटोदेपुर	5,294	0	0
	दाहोद	259,480	295	295
	गांधीनगर	281,853	2,459	2,459
	जामनगर	517,529	793	793
	जूनागढ़	585,356	1,009	1,009
	कच्छ	282,476	367	367
	खेड़ा	402,095	709	709
	महेसाणा	436,225	4,719	4,719
	महीसागर	18,395	0	0
	नर्मदा	132,097	346	346
	नवसारी	365,123	0	0

	पंचमहल	395,949	554	554
	पाटन	272,915	1,526	1,526
	पोरबंदर	133,726	122	122
	राजकोट	927,687	1,358	1,358
	साबरकांठा	518,845	1,749	1,749
	सूरत	1,294,912	9,720	9,720
	सुरेंद्रनगर	261,420	602	602
	तापी	175,894	1,325	1,325
	द डंग्स	54,024	0	0
	वडोदरा	892,755	6,520	6,520
	वलसाड	475,950	0	0
हरियाणा	अंबाला	145,455	110	110
	भिवानी	227,772	579	579
	फरीदाबाद	64,450	59	59
	फतेहाबाद	138,768	506	506
	गुडगाँव	86,796	13	13
	हिसार	269,809	134	134
	झज्जर	155,611	64	64
	जींद	214,434	291	291
	कैथल	165,815	451	451
	करनाल	208,354	737	737
	कुरुक्षेत्र	119,641	396	396
	महेंद्रगढ़	165,095	0	0
	मेवात	235,009	48,769	48,769
	पलवल	130,683	524	524
	पंचकुला	53,282	48	48
	पानीपत	173,513	254	254
	रेवाड़ी	155,627	0	0
	रोहतक	117,655	138	138
	सिरसा	201,238	843	843
	सोनीपत	200,314	682	682
	यमुनानगर	240,651	83	83
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	82,217	362	362
	चंबा	102,281	583	583
	हमीरपुर	122,956	1,873	1,873
	कांगड़ा	534,956	1,737	1,737
	किन्नौर	20,360	122	122
	कुल्लू	107,791	760	760
	लाहल और स्पीति	6,428	110	110
	मंडी	198,854	1,320	1,320
	शिमला	286,446	1,475	1,475
	सिरमौर	111,239	959	959
	सोलन	155,979	1,068	1,068
	ऊना	126,164	2,522	2,522
जम्मू व कश्मीर	अनंतनाग	168,023	19,332	19,332
	बड़गाम	72,239	12,912	12,912
	बांदीपुरा	152,974	8,174	8,174
	बारामुला	129,447	10,733	10,733
	डोडा	100,569	27,193	27,193
	गंदेरबाल	50,200	22,473	22,473
	जम्मू	382,316	26,274	26,274
	कारगिल	23,516	2,849	2,849

	कठुआ	143,182	13,379	13,379
	किशतवाड़	55,697	37,812	37,812
	कुलगाम	81,746	18,858	18,858
	कुपवाड़ा	113,578	16,258	16,258
	लेह (लद्दाख)	25,692	7,607	7,607
	पुलवामा	95,714	16,893	16,893
	पुंछ	123,473	23,389	23,389
	राजौरी	150,684	21,001	21,001
	रामबन	67,900	18,385	18,385
	रियासी	68,413	23,399	23,399
	सांबा	77,864	11,983	11,983
	शोपियां	56,152	21,319	21,319
	श्रीनगर	204,594	3,607	3,607
	उधमपुर	116,389	23,671	23,671
झारखंड	बोकारो	286,008	58,145	58,145
	चतरा	250,816	87,177	87,177
	देवघर	340,833	52,959	52,959
	धनबाद	486,512	31,162	31,162
	दुमका	356,773	46,822	46,822
	गढ़वा	255,960	75,495	75,495
	गिरिडीह	460,119	152,758	152,758
	गोड्डा	296,338	74,637	74,637
	गुमला	205,338	40,432	40,432
	हजारीबाग	341,410	77,639	77,639
	जामताड़ा	187,680	39,341	39,341
	खूंटी	126,979	27,321	27,321
	कोडरमा	132,269	26,652	26,652
	लातेहार	149,804	44,551	44,551
	लोहरदगा	107,531	29,315	29,315
	पकोर	208,420	27,817	27,817
	पलामू	423,912	216,056	216,056
	पश्चिमी सिंहभूम	355,858	50,968	50,968
	पूर्वी सिंहभूम	487,101	113,887	113,887
	रामगढ़	135,022	42,870	42,870
	रांची	621,087	104,669	104,669
	साहिबगंज	249,987	41,801	41,801
	सारीकेला-खरसवाना	284,540	46,019	46,019
	सिमडेगा	147,053	22,215	22,215
कर्नाटक	बागलकोट	231,429	7,346	7,346
	बैंगलोर	164,555	2,788	2,788
	बैंगलोर ग्रामीण	201,452	6,543	6,543
	बेलगाम	686,819	35,906	35,906
	बेल्लारी	563,050	6,303	6,303
	बीदर	378,517	5,006	5,006
	बीजापुर	297,806	10,797	10,797
	चामराजनगर	238,767	4,456	4,456
	चिक्कबल्लपुर	263,526	6,314	6,314
	चिकमंगलूर	316,020	14,211	14,211
	चित्रदुर्ग	316,052	33,383	33,383
	दक्षिणा कन्नड़	583,879	8,540	8,540
	दावनगेरे	271,496	11,445	11,445
	धारवाड़	165,506	4,249	4,249

	गडग	144,449	10,674	10,674
	गुलबर्गा	536,263	7,227	7,227
	हसन	400,282	12,669	12,669
	हावेरी	295,722	11,190	11,190
	कोडागू	121,395	2,545	2,545
	कोलार	274,817	12,411	12,411
	कोप्पल	296,363	5,830	5,830
	मंड्या	390,722	15,012	15,012
	मैसूर	513,358	16,730	16,730
	रायचूर	460,674	10,309	10,309
	रामनगर	289,623	13,249	13,249
	शिमोगा	490,159	16,244	16,244
	तुमकूर	497,081	32,708	32,708
	उडुपी	334,529	14,060	14,060
	उत्तरा कन्नड़	249,098	5,625	5,625
	यादगीर	292,660	13,204	13,204
केरल	अलाप्पुझा	746,042	0	0
	एर्नाकुलम	1,031,733	0	0
	इडुक्की	443,983	0	0
	कन्नूर	689,108	0	0
	कासरगोड	284,104	0	0
	कोल्लम	847,374	0	0
	कोट्टायम	578,435	0	0
	कोझिकोड	832,407	0	0
	मलप्पुरम	1,052,325	0	0
	पलक्कड़	769,366	0	0
	पथानामथिट्टा	470,877	0	0
	तिरुवनंतपुरम	933,744	0	0
	त्रिशूर	850,342	0	0
	वायनाड	283,192	0	0
मध्य प्रदेश	आगर मालवा	81,778	12,362	12,362
	अलीराजपुर	130,686	32,351	32,351
	अनूपपुर	114,764	44,986	44,986
	अशोकनगर	116,703	21,132	21,132
	बालाघाट	328,523	44,967	44,967
	बड़वानी	228,886	36,595	36,595
	बेतुल	349,729	40,060	40,060
	भिंड	230,252	100,623	100,623
	भोपाल	485,372	22,235	22,235
	बुरहानपुर	156,913	10,097	10,097
	छतरपुर	279,098	50,016	50,016
	छिंदवाड़ा	270,597	41,975	41,975
	दमोह	279,487	34,215	34,215
	दतिया	125,474	38,871	38,871
	देवास	297,462	30,707	30,707
	धार	368,339	47,052	47,052
	डिंडोरी	154,294	32,011	32,011
	गुना	193,530	61,015	61,015
	ग्वालियर	331,081	50,272	50,272
	हरदा	101,395	14,381	14,381
	होशंगाबाद	198,811	24,497	24,497
	इंदौर	677,802	11,013	11,013

	जबलपुर	256,628	40,366	40,366
	झाबुआ	185,415	48,595	48,595
	कटनी	288,653	29,521	29,521
	खंडवा (पूर्व निमाड़)	206,641	22,810	22,810
	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	336,071	55,391	55,391
	मंडला	225,385	34,174	34,174
	मंदसौर	285,403	19,666	19,666
	मोरेना	232,045	86,766	86,766
	नरसिंहपुर	254,434	31,600	31,600
	नीमच	164,206	10,925	10,925
	पन्ना	136,671	32,375	32,375
	रायसेन	186,679	52,459	52,459
	राजगढ़	240,414	68,692	68,692
	रतलाम	273,147	26,739	26,739
	रीवा	502,643	52,250	52,250
	सागर	364,450	52,076	52,076
	सतना	460,174	42,825	42,825
	सीहोर	220,394	25,116	25,116
	सिवनी	282,574	33,515	33,515
	शाहडोल	179,700	42,321	42,321
	शाजापुर	139,411	16,761	16,761
	श्योपुर	106,965	37,465	37,465
	शिवपुरी	245,176	88,118	88,118
	सीधी	204,338	47,878	47,878
	सिंगरौली	205,968	48,929	48,929
	टीकमगढ़	255,795	26,419	26,419
	उज्जैन	341,156	23,220	23,220
	उमरिया	110,056	32,328	32,328
	विदिशा	229,439	53,531	53,531
महाराष्ट्र	अहमदनगर	1,009,274	46,973	46,973
	अकोला	412,451	16,300	16,300
	अमरावती	674,341	36,675	36,675
	औरंगाबाद	761,385	52,924	52,924
	बीड	581,941	22,685	22,685
	भंडारा	317,774	17,142	17,142
	बुलढाणा	574,537	18,797	18,797
	चंद्रपुर	624,760	20,591	20,591
	धुले	480,530	37,823	37,823
	गडचिरोली	282,750	37,949	37,949
	गोंदिया जिला	327,375	19,425	19,425
	हिंगोली	275,449	44,648	44,648
	जलगांव	979,501	82,617	82,617
	जलना	426,986	28,801	28,801
	कोल्हापुर	937,565	32,976	32,976
	लातूर	434,690	33,237	33,237
	मुंबई	8,185	8,185	8,185
	नागपुर	1,205,675	44,932	44,932
	नांदेड़	615,028	38,193	38,193
	नंदुरबार	312,170	105,383	105,383
	नासिक	1,449,976	96,767	96,767
	उस्मानाबाद	363,127	16,366	16,366
	परभनी	359,533	14,678	14,678

	पुणे	2,713,002	197,366	197,366
	रायगढ	735,357	61,668	61,668
	रत्नागिरी	544,610	23,383	23,383
	सांगली	624,723	20,832	20,832
	सतारा	704,331	36,302	36,302
	सिंधुदुर्ग	302,906	10,911	10,911
	सोलापुर	909,948	32,237	32,237
	ठाणे	3,538,434	207,211	207,211
	वर्धा	338,854	16,614	16,614
	वाशिम	257,257	9,538	9,538
	यवतमाल	737,615	27,793	27,793
मणिपुर	बिश्नुपुर	37,487	5,342	5,342
	चंदेल	32,819	12,263	12,263
	छुरछंदपुर	62,055	15,683	15,683
	इम्फाल पूर्व	62,915	5,263	5,263
	इम्फाल पश्चिम	56,083	5,665	5,665
	सेनापति	76,094	19,452	19,452
	तामंगलांग	30,375	11,612	11,612
	थौबल	61,046	14,431	14,431
	उखरूल	34,799	13,037	13,037
मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	66,528	28,835	28,835
	पूर्वी खासी हिल्स	182,418	26,762	26,762
	री भोई	59,626	21,064	21,064
	दक्षिण गारो हिल्स	28,298	11,542	11,542
	वेस्ट गारो हिल्स	145,135	57,991	57,991
	वेस्ट जैतिया हिल्स	82,324	29,068	29,068
	पश्चिम खासी हिल्स	71,473	24,577	24,577
मिजोरम	आइजोल	85,319	2,123	2,123
	चम्फाई	28,577	1,820	1,820
	कोलासिब	18,480	1,842	1,842
	लांगटलई	25,493	9,261	9,261
	लुंगलेई	36,741	4,911	4,911
	मामित	21,007	5,015	5,015
	सैहा	12,834	2,527	2,527
	सेरछिप	13,428	471	471
नागालैंड	दीमापुर	157,203	20,370	20,370
	किफायर	16,101	6,670	6,670
	कोहिमा	81,789	9,649	9,649
	लॉंगलेंग	16,293	5,236	5,236
	मोकोकचुंग	40,375	11,726	11,726
	सोम	41,164	11,809	11,809
	पेरेन	19,686	9,649	9,649
	फेक	38,567	12,295	12,295
	तुएनसांग	37,510	15,065	15,065
	वोखा	38,918	11,461	11,461
	जुनहेबोटो	36,264	18,577	18,577
ओडिशा	अनुगल	329,369	85,726	85,726
	बलांगीर	401,352	183,744	183,744
	बालेश्वर	515,205	85,485	85,485
	बारगढ	315,596	95,947	95,947
	बौध	109,277	26,386	26,386
	भद्रक	318,725	67,395	67,395

	कटक	617,096	83,416	83,416
	देबगढ़	73,698	25,011	25,011
	ढैकनाल	306,030	84,842	84,842
	गजपति	130,988	31,661	31,661
	गंजम	781,775	146,490	146,490
	जगतसिंह पुर	275,780	56,755	56,755
	जाजापुर	398,282	73,002	73,002
	झारसुगुडा	124,597	29,805	29,805
	कालाहांडी	371,838	161,332	161,332
	कंधमाल	171,976	52,043	52,043
	केंद्रपाड़ा	327,706	57,430	57,430
	कैदुझार	444,695	158,869	158,869
	खोरदा	536,160	84,431	84,431
	कोरापुट	341,930	122,795	122,795
	मल्कानगिरी	133,614	33,953	33,953
	मयूरभंज	578,437	127,036	127,036
	नबरंगपुर	288,863	110,167	110,167
	नयागढ़	244,516	43,754	43,754
	नुआपाड़ा	141,363	50,991	50,991
	पुरी	391,121	87,768	87,768
	रायगढ़	234,390	64,274	64,274
	संबलपुर	190,645	54,714	54,714
	सोनापुर	137,145	41,348	41,348
	सुंदरगढ़	439,684	125,874	125,874
पुडुचेरी	कराईकल	25,596	141	141
	पुडुचेरी	70,020	771	771
पंजाब	अमृतसर	264,077	568	568
	बरनाला	79,201	57	57
	बठिंडा	172,259	321	321
	फरीदकोट	76,865	0	0
	फतेहगढ़ साहिब	85,160	1	1
	फिरोजपुर	268,688	493	493
	गुरदासपुर	313,402	261	261
	होशियारपुर	297,850	16	16
	जालंधर	225,817	146	146
	कपूरथला	118,368	319	319
	लुधियाना	377,685	199	199
	मनसा	118,254	251	251
	मोगा	161,924	1	1
	मुक्तसर	125,325	486	486
	पटियाला	233,549	83	83
	रूपनगर	103,628	1	1
	साहिबजादा अजीत सिंह नगर	112,398	30	30
	संगरूर	257,539	59	59
	शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर)	108,355	20	20
	तरनतारन	192,717	165	165
राजस्थान	अजमेर	509,480	15,805	15,805
	अलवर	637,249	101,651	101,651
	बांसवाड़ा	309,746	51,338	51,338
	बरन	234,963	47,390	47,390
	बाड़मेर	383,113	82,400	82,400

	भरतपुर	402,748	70,544	70,544
	भीलवाड़ा	474,650	27,133	27,133
	बीकानेर	382,596	75,749	75,749
	बूंदी	201,399	22,524	22,524
	चित्तौड़गढ़	313,162	16,704	16,704
	चुरू	356,528	25,313	25,313
	दौसा	288,428	52,365	52,365
	धौलपुर	209,963	29,129	29,129
	इंगरपुर	286,198	57,207	57,207
	गंगानगर	381,851	26,553	26,553
	हनुमानगढ़	357,852	43,220	43,220
	जयपुर	1,273,547	64,592	64,592
	जैसलमेर	113,464	26,975	26,975
	जलोड़	279,737	33,741	33,741
	झालावाड़	299,191	89,381	89,381
	झुंझुनूं	402,942	34,285	34,285
	जोधपुर	662,193	239,105	239,105
	करौली	268,194	58,615	58,615
	कोटा	433,696	61,910	61,910
	नागौर	568,124	51,359	51,359
	पाली	493,342	140,158	140,158
	प्रतापगढ़	208,516	66,368	66,368
	राजसमंद	237,620	7,670	7,670
	सवाई माधोपुर	211,137	12,346	12,346
	सीकर	479,949	50,751	50,751
	सिरोही	208,159	48,471	48,471
	टोंक	283,105	39,345	39,345
	उदयपुर	605,809	92,639	92,639
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	33,466	2,117	2,117
	उत्तर सिक्किम	7,819	1,812	1,812
	दक्षिण सिक्किम	26,058	4,052	4,052
	पश्चिम सिक्किम	31,425	6,919	6,919
तमिलनाडु	अरियालुर	186,938	0	0
	कोयंबटूर	244,417	0	0
	कुड्डालोर	412,424	0	0
	धर्मपुरी	268,286	0	0
	डिंडीगुल	323,203	0	0
	इरोड	324,343	0	0
	कांचीपुरम	491,431	0	0
	कन्याकुमारी	207,462	2,170	2,170
	करूर	182,234	0	0
	कृष्णागिरी	372,263	0	0
	मदुरै	421,973	0	0
	नागपट्टिनम	330,082	0	0
	नमक्कल	247,796	0	0
	पेरम्बलुर	137,215	0	0
	पुदुक्कोट्टई	300,508	0	0
	रामनाथपुरम	262,464	0	0
	सलेम	461,188	0	0
	शिवगंगा	301,687	0	0
	तंजावुर	362,426	0	0
	नीलगिरी	85,704	0	0

	थेनी	163,437	0	0
	तिरुवल्लुर	379,277	0	0
	थिरुवरुर	253,962	0	0
	थुथुकुडी	331,942	0	0
	तिरुचिरापल्ली	317,488	0	0
	तिरुनेलवेली	422,568	0	0
	तिरुपूर	293,417	0	0
	तिरुवन्नामलाई	538,656	0	0
	वेल्लोर	618,872	0	0
	विलुप्पुरम	701,185	0	0
	विरुधुनगर	341,000	0	0
तेलंगाना	आदिलाबाद	660,501	44,940	44,940
	करीमनगर	1,111,567	30,509	30,509
	खम्मम	618,140	40,790	40,790
	महबूबनगर	761,953	117,326	117,326
	मेडक	691,001	74,327	74,327
	नलगोंडा	938,004	74,891	74,891
	निजामाबाद	513,089	21,784	21,784
	रंगारेड्डी	499,163	30,727	30,727
	वारंगल	806,322	79,790	79,790
त्रिपुरा	धलाई	91,845	34,381	34,381
	गोमती	98,132	15,189	15,189
	खोवाई	81,448	15,411	15,411
	उत्तरी त्रिपुरा	105,438	18,478	18,478
	सेपाहिजाला	110,919	13,860	13,860
	दक्षिणी त्रिपुरा	96,722	13,119	13,119
	उनाकोटी	65,486	13,400	13,400
	पश्चिम त्रिपुरा	141,563	15,252	15,252
उत्तर प्रदेश	आगरा	663,455	66,261	66,261
	अलीगढ़	566,358	116,897	116,897
	इलाहाबाद	735,763	189,562	189,562
	अंबेडकरनगर	306,735	57,550	57,550
	अमेठी	223,254	64,092	64,092
	औरैया	232,610	77,369	77,369
	आजमगढ़	615,352	179,851	179,851
	बागपत	249,973	24,251	24,251
	बहराइच	462,348	214,472	214,472
	बलिया	402,535	138,067	138,067
	बलरामपुर	294,328	86,036	86,036
	बांदा	239,822	108,132	108,132
	बाराबंकी	360,192	120,565	120,565
	बरेली	586,673	136,750	136,750
	बस्ती	393,431	130,364	130,364
	बिजनौर	493,380	114,379	114,379
	शाहजहांपुर	332,091	100,475	100,475
	बुलंदशहर	513,197	135,881	135,881
	चंदौली	341,033	81,047	81,047
	चित्रकूट	160,205	89,636	89,636
	देवरिया	794,008	160,634	160,634
	एटा	191,422	69,973	69,973
	इटावा	198,654	53,826	53,826
	फैजाबाद	343,664	102,487	102,487

	फर्रुखाबाद	261,112	93,425	93,425
	फतेहपुर	550,024	144,821	144,821
	फिरोजाबाद	355,579	79,014	79,014
	गौतम बुद्ध नगर	337,923	23,850	23,850
	गाज़ियाबाद	775,367	20,429	20,429
	गाजीपुर	437,876	141,070	141,070
	गोंडा	332,524	158,833	158,833
	गोरखपुर	776,943	220,984	220,984
	हमीरपुर	176,298	64,549	64,549
	हापुड़	200,431	35,598	35,598
	हरदोई	469,389	215,616	215,616
	जालौन	241,936	92,992	92,992
	जौनपुर	634,353	204,482	204,482
	झांसी	283,618	56,621	56,621
	ज्योतिबा फुले नगर	297,685	83,850	83,850
	कन्नौज	218,960	86,274	86,274
	कानपुर देहात	214,363	93,269	93,269
	कानपुर नगर	204,053	73,819	73,819
	काशीराम नगर	168,304	56,224	56,224
	कौशाम्बी	160,780	64,452	64,452
	खेरी	495,447	141,143	141,143
	कुशीनगर	474,771	179,254	179,254
	ललितपुर	158,095	63,501	63,501
	लखनऊ	954,218	95,801	95,801
	महामाया नगर	281,949	54,550	54,550
	महोबा	158,210	42,774	42,774
	महाराजगंज	435,153	143,604	143,604
	मैनपुरी	243,877	84,383	84,383
	मथुरा	354,493	83,798	83,798
	मऊ	320,441	87,848	87,848
	मेरठ	643,774	56,776	56,776
	मिर्जापुर	341,106	131,526	131,526
	मुरादाबाद	507,619	130,484	130,484
	मुजफ्फरनगर	495,449	67,687	67,687
	पीलीभीत	306,274	76,100	76,100
	प्रतापगढ़	481,880	131,670	131,670
	रायबरेली	450,166	90,357	90,357
	रामपुर	324,702	110,536	110,536
	सहारनपुर	648,980	115,706	115,706
	संभल	277,820	101,048	101,048
	संत कबीर नगर	235,928	95,592	95,592
	संत रविदास नगर (भदोही)	208,202	71,777	71,777
	शाहजहांपुर	395,053	145,246	145,246
	शामली	219,108	28,564	28,564
	श्रावस्ती	152,500	54,621	54,621
	सिद्धार्थनगर	400,006	126,101	126,101
	सीतापुर	489,811	205,334	205,334
	सोनभद्र	320,932	168,897	168,897
	सुल्तानपुर	378,424	116,136	116,136
	उन्नाव	488,174	225,645	225,645
	वाराणसी	736,200	125,380	125,380
उत्तराखंड	अल्मोड़ा	136,374	10,967	10,967

	बागेश्वर	53,156	6,760	6,760
	चमोली	73,996	8,634	8,634
	चम्पावत	51,561	7,849	7,849
	देहरादून	374,238	40,839	40,839
	गढ़वाल	150,014	11,396	11,396
	हरिद्वार	368,636	46,281	46,281
	नैनीताल	206,844	22,829	22,829
	पिथौरागढ़	101,633	10,780	10,780
	रुद्रप्रयाग	46,222	3,949	3,949
	टिहरी गढ़वाल	125,609	13,204	13,204
	उधम सिंह नगर	355,094	53,139	53,139
	उत्तरकाशी	49,679	12,124	12,124
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	663,499	24,415	24,415
	बर्धमान	1,102,392	65,767	65,767
	बीरभूम	652,306	36,859	36,859
	कूच बिहार	516,910	35,043	35,043
	दक्षिण दिनाजपुर	316,515	6,828	6,828
	दार्जीलिंग	320,866	10,434	10,434
	हुगली	1,010,700	41,692	41,692
	हावड़ा	791,831	27,827	27,827
	जलपाईगुड़ी	812,502	17,130	17,130
	मालदा	760,589	32,871	32,871
	मुर्शिदाबाद	1,325,132	54,433	54,433
	नादिया	1,016,922	51,631	51,631
	उत्तर 24 परगना	1,293,658	61,078	61,078
	पासीम मेदिनीपुर	1,142,290	21,901	21,901
	पूर्वा मेदिनीपुर	1,026,093	33,407	33,407
	पुरुलिया	542,505	52,234	52,234
	दक्षिण 24 परगना	1,246,191	144,401	144,401
	उत्तर दिनाजपुर	517,629	14,339	14,339

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1883

जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

लारा, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी संयंत्रों के कारण उत्पन्न हो रही पर्यावरणीय समस्याएं

1883. श्री प्रसन्न आचार्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लारा, छत्तीसगढ़ में अवस्थित एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र के कारण ओडिशा के लखनपुर ब्लॉक के अनेक गांव वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी ने लारा परियोजना के पास अवस्थित ओडिशा के गांवों में अब तक कोई परिधीय विकास कार्य आरंभ नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या बड़ी संख्या में झारसुगुड़ा से लारा संयंत्र तक कोयला पहुंचाने वाले भारी वाहन सड़कों और मानव जीवन को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि तहसील लखनपुर, जिला झारसुगुड़ा, ओडिशा में लखनपुर कोयला ब्लॉक तहसील पुस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की 2x800 मेगावाट की लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से 50 कि.मी. दूर स्थित है; इस दूरी को देखते हुए लखनपुर कोयला ब्लॉक में गांवों पर लारा विद्युत परियोजना के पर्यावरण प्रभाव और प्रदूषण की सम्भावना नहीं है।

इसके अतिरिक्त लारा सुपर क्रिटिकल टेक्नालॉजी पर आधारित है जो अधिक दक्ष है और कार्बनडाइ आक्साइड का कम उत्सर्जन करती है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी लारा SO_x का उत्सर्जन कम करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) : समाहर्ता, झारसुगुड़ा (ओडिशा) की मांग के अनुसार एनटीपीसी लारा झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक में विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 72 लाख रुपये जमा करा चुका है।

(ग) : एनटीपीसी ने सूचित किया है कि वर्तमान में कोयला लाने वाला कोई भारी वाहन झारसुगुड़ा से लारा संयंत्र नहीं आ रहा है।
